न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व विविध :: 131/2018

RCMS Case No. 2018/00164

प्रार्थी :– **बनाम** **अप्रार्थीः–**

सरकार जरिये तहसीलदार रानी

1. किशनलाल पुत्र देवाराम
2. पुष्पादेवी पुत्री देवाराम
3. पेपीदेवी पुत्री देवाराम
4. सुखीदेवी पुत्री देवाराम
5. कन्यादेवी पत्नी देवाराम
6. कमलादेवी पुत्री देवाराम जातिगण सिरवी निवासीगण बिजोवा तहसील रानी

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

–:: आदेश ::–

दिनांक 24/05/2018

प्रार्थी सरकार जरिये तहसीलदार बाली द्वारा यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाता है। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम बिजोवा तहसील रानी के खसरा नम्बर 1505 रकबा 0.24 हैक्टेयरा किस्म जा0प्र0 की भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त इन्द्राज अप्रार्थी के ससुर/दादा को आवंटन होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 345 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। इस भूमे कि किस्म गै0मु0 नदी थी, जिसका आवंटन नही किया जा सकता है। अतः ग्राम माण्डल के नामान्तरकरण संख्या 345 को निरस्त कराने हेतु धारा 82 के तहत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष रेफरेन्स कराया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम बिजोवा तहसील रानी के हाल खसरा नम्बर 1505 की भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी के रूप में राजरव रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 398/9 गै0मु0 नदी है। उक्त भूमि तहसीलदार देसूरी द्वारा नियमन करने से नामान्तरकरण संख्या 345 के जरिये अप्रार्थी के ससुर/दादा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया है। चूंकि उक्त भूमि के मूल खसरा नम्बर 398/9 की किस्म नदी थी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत नदी/नाला/वाला आदि की भूमि आवंटन नियमन से प्रतिबन्धित है तथा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय

अति. जिला कलेक्टर, पाली

की अनुपालना में भी नदी/नाला/वाला की भूमि का आवंटन/नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में हुआ नियमन नियमो के अनुकूल नही कहा जा सकता है, साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 में प्रदत्त प्रावधानों के विपरीत हैं। माननीय उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्देशों की अनुपालना में भूमि की पूर्व स्थिति को बहाल कर नाला दर्ज किया जाना हैं। अतः तहसीलदार देसूरी द्वारा अप्रार्थी के ससुर/दादा के पक्ष में किया गया नियमन तथा उक्त नियमन की पालना में दायर किया गया नामान्तरकरण विधि के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रानी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी के पक्ष में तहसीलदार देसरी के आदेश क्रमांक/.... दिनांक 14.07.1969 एवं उसकी पालना भरे गये ग्राम बिजोवा तहसील रानी के नामान्तरकरण संख्या 345 को निरस्त करावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति.जिला कलेक्टर,पाली